


Form No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् पतासी देवी बनाम हरबंश सिंह वगैरा किस्म मुकदमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183-209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 08/2018

| तारीख हुक्म जारी करने की | कार्यवाही मय इनशियलस जज | हुक्म तारीख व तामिल |
|--------------------------|--|---------------------|
| 10-10-24 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 151 सीसीपी के जवाब हेतु काफी अवसर प्रदान किये जा चुके हैं, परन्तु वकील वादी द्वारा न्यायालय द्वारा बार-बार अवसर प्रदान करने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पूर्व तारीख पेशी दिनांक 01.10.2024 को वकील वादी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था, परन्तु वकील वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। वकील वादी द्वारा वादी के अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु नोट प्रैस किया गया।</p> <p>अतः पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आदिनांक 10.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर</p> | |

